मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in **E-mail :** mdmandiboard@gmail.com **Tel:** 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / MIRN / 2017–18 / 786 भोपाल दिनांक 27 अक्टूबर 2017

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

विषयः–भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना क्रियान्वयन अंतर्गत आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग करने संबंधी।

–0–

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक डी–15 / 44 / 2017 / 14–3 दिनांक 06 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन के द्वारा विनिश्चय किया गया है कि "समर्थन मूल्य या बाजार हस्तक्षेप दर" तथा किसान के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर को "मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना" अंतर की राशि किसान को प्रतिपूर्ति के रुप में प्रदान की जाना है। वर्तमान में यह योजना खरीफ जिन्स सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का, तुअर, मूंगफली, तिल, रमतिल पर लागू की गई है। योजना की प्रति आपको पूर्व में एवं दिनांक 26 अक्टूबर 2017 को ईमेल से प्रेषित की गई है।

योजना के बिन्दु क्रमांक 10.1 के अंतर्गत उपरोक्त जिन्सों के लिये पंजीकृत कृषकों के द्वारा मण्डी प्रांगण में विक्रय किये जाने पर प्रदेश के तथा अन्य उत्पादक राज्यों के मॉडल भाव और समर्थन मूल्य के मध्य के अंतर की राशि संबंधित कृषक को सत्यापन पश्चात में भुगतान की जाना है। उक्त योजना में मॉडल भाव एक प्रमुख तत्व है जिसे कि भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल के आधार पर प्राप्त कर भुगतान की गणना में लिया जाना है।

अतः प्रदेश की कुल 257 मण्डियों में से योजना अंतर्गत चयनित 231 मण्डियों+फल–सब्जी प्रांगण वाले 36 अतिरिक्त नोडस कुल मिलाकर 267 नोडस में निम्नानुसार योजना का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये :–

(01) मण्डी समितियों के द्वारा दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग के दौरान हो जाने वाली त्रुटियों पर त्वरित रुप से सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

(02) दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में उसी दिन यथा 24 घंटे के अंदर नियमित रुप से भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करावें।

(03) मण्डी समिति का यह भी दायित्व होगा कि दैनिक आवक की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि इसमें संबंधित मण्डी के मुख्य प्रांगण सहित उप

Sandeep

मण्डियों की तथा उपार्जन के दौरान मण्डी क्षेत्र में स्थापित क्रय केन्द्रों की पूर्ण आवक की जानकारी का समावेश अनिवार्य रुप से करें।

(04) मण्डी सचिव ऐसी समस्त जिन्सों सहित जो कि किसी भी मात्रा में मण्डी में आई हो, की आवक एवं भाव (न्यूनतम, उच्चतम, मॉडल भाव) की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग नियमित रुप से प्रति कार्य दिवस भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर करना सुनिश्चित करावें एवं अंचल स्तर से मॉनिटर करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(05) Commodities reported with NR (Not Reported) in arrival, need to be checked की कार्यवाही दैनिक रुप से समाधान करना सुनिश्चित करावें।

(06) दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग करते समय जिन्स के नाम का चयन करने के उपरांत वेरायटी का उल्लेख अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करावें अर्थात वेरायटी में "Others" का उल्लेख नहीं किया जाये।

(07) समस्त चयनित मण्डियों एवं उनके के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस डाटा रिपोर्टिंग की जावे। यदि किसी कार्य दिवस मण्डी में आवक निरंक होती है तो निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर स्पष्ट रुप से डाटा रिपोर्टिंग निरंक की जाना सुनिश्चित करायें।

(08) मण्डियों का यह दायित्व होगा कि भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिपोर्टिंग करने के पूर्व जांच कर यह सुनिश्चित कर लेवें की जिन्स के दैनिक आवक एवं न्यूनतम भाव, उच्चतम भाव, मॉडल भाव की दर्ज की गई जानकारी में कोई त्रुटि अथवा विसंगति तो नहीं है।

(09) यदि किसी कार्य दिवस में मण्डी के दैनिक मॉडल भाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम होना पाया जाता है तो त्वरित गहन विश्लेषण कर आवश्यक रुप से इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करावें। इसी प्रकार किसी जिंस की आवक में हुई असाधारण वृद्धि अथवा कमी की छानबीन कर उसके कारणों को अनिवार्यतः स्पष्ट किया जाये।

(10) मण्डी समिति के सूचना पटल/डिस्प्ले बोर्ड यथा उपयुक्त स्थानों पर जिन्स के समर्थन मूल्य एवं दैनिक रुप से जिन्सों के प्रचलित न्यूनतम भाव, उच्चतम भाव एवं मॉडल भाव की जानकारी अनिवार्य रुप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करावें।

(11) डाटा रिपोर्टिंग कार्य में लगे मण्डी कर्मी login Window के ठीक नीचे User Help File को क्लिक यथा डाऊनलोड कर के 'AGMARKNET' (Web Based Application) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर डाटा रिपोर्टिंग कार्य में आने वाली कठिनाईयों का स्वयं निवारण कर सकते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / MIRN / 2017–18 / 787 भोपाल दिनांक 27 अक्टूबर 2017

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) डॉ0 अलका भार्गव, संयुक्त सचिव (विपणन) और कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कक्ष क्रमांक 155, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(02) श्री बी0के0प्रुष्टी, उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, एन0एच0–IV, फरीदाबाद–121001।

(03) निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कक्ष क्रमांक–83, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म0प्र0)।

(04) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक एवं State Project 'Agmarknet' Coordinator, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) श्री एल0के0सिंह, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, 245, द्वितीय तल, महाराणा प्रताप नगर, जोन–2 भोपाल :– दिनांक 24.10.2017 को आपसे किये गये अनुरोध के संदर्भ में।

(06) श्री अमर सेंगर, अपर संचालक (मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(07) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(08) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– उपरोक्तानुसार निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल